स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914

(1914 का अधिनियम संख्यांक 9)[1]

[28 फरवरी, 1914]

स्थानीय प्राधिकारियों को उधार देने से संबंधित विधि
का समेकन तथा संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—स्थानीय प्राधिकारियों की उधार लेने की शक्तियों से संबंधित विधि का समेकन तथा संशोधन करना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 है ।

[2][(2) इसका विस्तार [3][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय, [3][जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे], सम्पूर्ण भारत पर है ।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम, में, "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय या नगरपालिक निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए वैध रूप में हकदार है, या किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई उपकर, रेट, शुल्क या कर अधिरोपित करने के लिए वैध रूप से हकदार है;

किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में प्रयुक्त "निधियों" के अन्तर्गत कोई ऐसी स्थानीय या नगरपालिक निधि, जिसके नियंत्रण या प्रबंध के लिए ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार है, और कोई ऐसा उपकर, रेट, शुल्क या कर, जिसे अधिरोपित करने के लिए ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार है, और कोई ऐसी संपत्ति, जो ऐसे प्राधिकारी में निहित है, आती है;

"विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

"संकर्म" के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण भी है, चाहे वह किसी अन्य संकर्म से आनुषंगिक हो या नहीं; और

[4]["सरकार" या "समुचित सरकार" से छावनी प्राधिकारियों के संबंध में तथा महापत्तनों में पत्तन प्राधिकारियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार, अभिप्रेत है ।]

3. स्थानीय प्राधिकारियों की उधार लेने की शक्तियां—(1) स्थानीय प्राधिकारी, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, अपनी निधियों या उनके किसी भाग की प्रतिभूति पर उधार ले सकेगा, अर्थात्:—

(i) किन्हीं ऐसे संकर्मों को कार्यान्वित करना, जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए वह वैध रूप से प्राधिकृत है,

(ii) अकाल या दुर्भिक्ष के समय राहत देना और राहत कार्यों की स्थापना करना तथा उन्हें बनाए रखना,

(iii) किसी खतरनाक महामारी के प्रादुर्भाव या फैलाव का निवारण,

(iv) कोई ऐसे उपाय जो खण्ड (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों से संबंधित या आनुषंगिक हों,

(v) विधि के अनुसार पहले उधार लिए गए धन का प्रतिसंदायः

परन्तु खण्ड (v) की कोई भी बात, उस खण्ड के अधीन उधार लिए गए किसी धन के प्रतिसंदाय के लिए उतनी अवधि नियत करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी को सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो तब, जब पहले उधार लिए गए धन के प्रतिसंदाय के लिए नियत अवधि ध्यान में ली जाए, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए नियत अधिकतम अवधि से अधिक हो जाए:

[1] यह अधिनियम स्थानीय प्राधिकारी उधार (मध्य प्रान्त संशोधन) अधिनियम, 1922 (1922 का मध्य प्रान्त अधिनियम सं० 1) द्वारा मध्य प्रान्त को; 1975 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 31 द्वारा महाराष्ट्र को; 1974 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 4 तथा 1976 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 35 द्वारा हिमाचल प्रदेश को लागू करने के लिए संशोधित किया गया ।

इसे बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर भागतः विस्तारित किया गया ।

अधिनियम 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी पर लागू करने के लिए विस्तारित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][परन्तु यह और कि [2][समुचित सरकार] द्वारा दिए गए उधारों से भिन्न उधारों की दशा में, पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कोई भी रकम तब तक उधार नहीं ली जाएगी, जब तक कि ऐसे उधार के निबंधन, जिनके अन्तर्गत उधार चालू करने की तारीख भी है, [3][समुचित सरकार] द्वारा अनुमोदित न कर दिए गए हों ।]

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी स्थानीय प्राधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, अर्थात्:—

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए धन उधार लेना या व्यय करना, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वह अपनी निधियों का उपयोजन करने के लिए प्राधिकृत नहीं है; या

(ख) ऐसी हुंडियों या वचनपत्रों के निर्गमन द्वारा धन उधार लेना, जो बारह मास से अनधिक की किसी अवधि के भीतर संदेय है ।

4. सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) [2][समुचित सरकार] निम्नलिखित के बारे में, अर्थात्:—

(i) उन निधियों की प्रकृति, जिनकी प्रतिभूति पर धन उधार लिया जा सकेगा;

(ii) वे संकर्म, जिनके लिए धन उधार लिया जा सकेगा;

(iii) धन उधार लेने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने की रीति;

(iv) ऐसे उधारों के संबंध में की जाने वाली जांचें तथा ऐसी जांचें करने की रीति;

(v) वे मामले तथा वे प्ररूप, जिनमें आवेदनों तथा कार्यवाहियों की विशिष्टियां तथा उन पर दिए गए आदेश प्रकाशित किए जाएंगे;

(vi) वे मामले, जिनमें [2][समुचित सरकार] उधार दे सकेगी [4]***

[5][(vii) वे मामले, जिनमें स्थानीय प्राधिकारी [2][समुचित सरकार] से भिन्न व्यक्तियों से उधार ले सकेंगे;]

(viii) उन शर्तों को जिन पर धन उधार लिया जाना है, अभिलिखित तथा प्रवर्तित करने की रीति;

(ix) उधार देने या लेने की रीति तथा समय;

(x) उधारों द्वारा कार्यान्वित किन्हीं संकर्मों का निरीक्षण;

(xi) वे किस्तें, यदि कोई हों, जिनके द्वारा उधारों का प्रतिसंदाय किया जाएगा, उधारों पर लगने वाला ब्याज, तथा उधारों का प्रतिसंदाय करने और उन पर के ब्याज का संदाय करने की रीति और समय;

(xii) उन निधियों के प्रति जो उधार के लिए प्रतिभूति बनती है, उधार लेने में खर्चों के रूप में लगाई जाने वाली राशि;

(xiii) ऐसी निधियों की कुर्की तथा उनके व्ययन या संग्रहण की रीति;

(xiv) उधारों की बाबत रखे जाने वाले लेखे;

(xv) खर्च करने से बची हुई उधारों की राशि को, या तो स्थानीय प्राधिकारी के ऋण को किसी भी रूप में कम करने में या किन्हीं ऐसे संकर्मों को कार्यान्वित करने में जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए वह प्राधिकारी वैध रूप में प्राधिकृत है, उपयोग में लाना तथा ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक मंजूरी,

और इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए आनुषंगिक सभी अन्य बातों के बारे में इस अधिनियम से सुसंगत नियम* बना सकेगी ।

[6]* * * * *

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित [4]*** किए जाएंगे; और ऐसे प्रकाशन पर, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों ।

---

[1] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा कतिपय शब्द निरसित ।

[5] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* संघ राज्यक्षेत्रों में सभी स्थानीय प्राधिकारियों और पूर्ववर्ती भाग क राज्यों में की सभी छावनी प्राधिकारियों तथा महापत्तनों के पत्तन प्राधिकारियों को लागू नियम के लिए देखिए स्थानीय प्राधिकारी उधार (केन्द्रीय) नियम, 1937 (भारत का राजपत्र, 1937, भाग 1, पृ० 1902); और पूर्ववर्ती भाग क राज्यों में के अन्य स्थानीय प्राधिकारियों पर नियम लागू किए जाने के लिए देखिए स्थानीय प्राधिकारी उधार नियम, 1915 [भारत का राजपत्र, 1915 भाग 1, पृ० 1888 (अंग्रेजी) ।]

[6] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा उपधारा (2) निरसित ।

[1][(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

5. यदि उधार का प्रतिसंदाय न किया जाए, तो कुर्की द्वारा उपचार—यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उधार लिए गए किसी धन या उसकी बाबत शोध्य किसी ब्याज या खर्चे का, उधार की शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय नहीं किया जाता है, तो [2][समुचित सरकार], यदि वह स्वयं उधार देने वाली है तो उन निधियों को जिनकी प्रतिभूति पर उधार दिया गया था, कुर्क कर सकेगी और यदि [2][समुचित सरकार] उधार देने वाली नहीं है तो वह उधार देने वाले के आवेदन पर उन निधियों को, जिनकी प्रतिभूति पर उधार दिया गया था, कुर्क करेगी । ऐसी कुर्की के पश्चात् [2][समुचित सरकार] द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी के सिवाय कोई भी व्यक्ति, कुर्क की गई निधियों की बाबत किसी भी रूप में संव्यवहार नहीं करेगा, किन्तु ऐसा अधिकारी उनकी बाबत ऐसे सभी कार्य कर सकेगा, जो उधार लेने वाले करते यदि ऐसी कुर्की न की गई होती और आगमों का उपयोजन उधार की तथा उसकी बाबत शोध्य सभी ब्याजों तथा खर्चों की और कुर्की तथा पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों के कारण हुए सभी व्ययों की तुष्टि में कर सकेगाः

कुर्की वैध रूप से किए गए पूर्विक प्रभारों को विफल नहीं करेगी—परन्तु कोई भी ऐसी कुर्की किसी ऐसे ऋण को विफल नहीं करेगी, या उस प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिसके लिए कुर्क की गई निधियां विधि के अनुसार पहले गिरवी रखी गई थीं; किन्तु आगमों के किसी भाग को उस दायित्व की तुष्टि में, जिसकी बाबत ऐसी कुर्की की गई है, उपयोजित किए जाने के पूर्व ऐसे सभी पूर्विक प्रभावों का निधियों के आगमों में से संदाय किया जाएगा ।

6. लघु-अवधि हुंडियों का निर्गमन—(1) इंडियन पेपर करेंसी ऐक्ट, 1910 (1910 का 2)[3] की धारा 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची 1 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारी तथा कोई अन्य ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, जिस पर [4][समुचित सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों का विस्तार करे, [4][समुचित सरकार] की पूर्व मंजूरी से, बारह मास से अनधिक की किसी अवधि के भीतर संदेय हुंडियों या वचनपत्रों के निर्गमन द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए धन उधार ले सकेगा, जिसके लिए ऐसा स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैध रूप से धन उधार ले सकेः

परन्तु ऐसी हुंडियों या वचनपत्रों की रकम, जो इस प्रकार निर्गमित किए जाएं, तब जब ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तत्समय उधार लिए गए अन्य धनों की रकम ध्यान में ली जाए, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जिसे उधार लेने के लिए ऐसा स्थानीय प्राधिकारी विधि द्वारा सशक्त किया गया है ।

(2) [4][समुचित सरकार], साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उन शर्तों का विनियमन कर सकेगी, जिन पर इस धारा के अधीन धन उधार लिया या उसका प्रतिसंदाय किया जा सकेगा ।

7. सिवाय इस अधिनियम के अधीन उधारों का न लिया जाना—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, किसी भी प्रयोजन के लिए अपनी निधियों पर धन उधार नहीं लेगा या उन्हें अन्यथा प्रभारित नहीं करेगा; और इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् उस प्रयोजन के लिए अन्यथा की गई कोई भी संविदा शून्य होगीः

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वहः—

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी को, अब या इसके पश्चात् प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियमिति द्वारा अपने को उधार लेने की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से प्रवारित करती है; या

(ख) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए स्थानीय प्राधिकारी की निधियों का वैध रूप से उपयोजन किया जा सकता है, उपयोजित किए जाने वाले धन पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति देकर अपनी निधियों को प्रभारित करने की किसी स्थानीय प्राधिकारी को किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रभावित करती है ।

[5][**8. 5 सितम्बर, 1871 के पूर्व विद्यमान उधारों को अधिनियम का लागू होना**—धारा 5 में वर्णित उपचार, सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा 5 सितम्बर, 1871 के पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी को उधार दिए गए किसी धन तथा ऐसे धन पर शोध्य ब्याज की वसूली के लिए उपलभ्य होगा ।]

9. [**निरसित** ।]—निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंतःस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 देखिए ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुसूची 1

(धारा 6 देखिए)

कलकत्ता नगर निगम

कलकत्ता पत्तन के आयुक्त

[1]* * * *

मुम्बई नगर निगम

कलकत्ता पत्तन के न्यासी

मद्रास नगर निगम

मद्रास पत्तन के न्यासी

[2]* * * *

[3]* * * *

मुम्बई नगर के सुधार के लिए न्यासी

कलकत्ता नगर के सुधार के लिए न्यासी ।

अनुसूची 2

[**अधिनियमितियां निरसित** ।]—निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा चटगांव पत्तन के आयुक्त से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा रंगून नगरपालिका और रंगून पत्तन के आयुक्त से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा कराची नगरपालिका और कराची पत्तन के न्यासी से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।